न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 86/2022 बउनवानी सुश्री पदमिनी राठौर बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले. स0मा0
निवासी मॉ फार्म रणथम्भौर रोड़ सवाईमाधोपुर /प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग
GCMS No-2022/170

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.9.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.6.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय/प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1- Report with all docouments with maps given by survey done of Ranthambhore National Park done on letter given by Sub. Divisional Collector by letter serial no 4719 dated 9-11-2006 2- Pls supply copy of action taken on letter serial no. p8(9)Sanctuary/01/157-58 dated 7-1-03, given to Sub Divisional collector Sawai Madhopur. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/1749 दिनांक 22.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना से संबंधित दस्तावेज उनके कार्यालय मे नही है इसलिए सूचना दिया जाना सम्भव नही है किन्तु प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक प.12()सू.का.अ./राजस्व/ 2022/9100 दिनांक 22.9.2022 से अपीलान्ट को वांछित सूचना बिन्दुवार उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.6.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र चाही ग[illegible]की) प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक 9100 दिनांक 22.9.202[illegible]लब्ध करवायी जा चुकी है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज [illegible] जाती है। पत्रा[illegible]फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अ[illegible]न्यायालय [illegible]या गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:34:08 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर